



भारत सरकार

Government of India

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

Ministry of Finance, Department of Revenue

सीमा शुल्क आयुक्त (नि) का कार्यालय

Office of the Commissioner of Customs(P)

सीमा शुल्क भवन, 110 महात्मा गांधी रोड, शिलांग-793003

Customs House, 110 M.G. Road, Shillong-793003

हिन्दी अनुवाद

सुविधा संख्या.06/2010

दिनांक: 28 सितम्बर, 2010, शिलांग

विषय: लैंड कस्टम्स स्टेशन अगरतला के सीमा शुल्क क्षेत्र में सामानों को लापरवाही से रखने संबंधी ।

सुविधा संख्या 40/2008 दिनांक: 06.06.2008 के तहत सीमा शुल्क क्षेत्र अगरतला लैंड कस्टम्स स्टेशन का विस्तार किया गया था।

सीमा शुल्क क्षेत्र का विस्तार करने का अर्थ है निर्यात अथवा आयात वस्तुओं को खाली कराने के पूर्व सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा रखना। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 47 के तहत आयात वस्तुओं के क्षेत्र में एकबार सीमा शुल्क के निगरानी से बाहर होने के बाद आयातकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे वस्तुओं को तत्काल सीमा शुल्क क्षेत्र से हटाया जाए। उसी खंड 40 के सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत सीमा शुल्क क्षेत्र में रखे गए निर्यातित वस्तुओं को उपयुक्त अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान करने के साथ ही उसे लोड करके दूसरे जगह ले जाना होगा। एक बार सामान हटाए जाने के बाद किसी भी स्थिति में सीमा शुल्क क्षेत्र में सामानों को लापरवाही से रखने नहीं दिया जाएगा।

अगरतला लैंड कस्टम्स स्टेशन के मामले में यह कहा गया है कि कस्टम्स अनुमति पत्र के अनुमोदन दिए जाने के कई दिनों बाद भी विषेश सीमा शुल्क क्षेत्र में आयातित पत्थरी चिप्स और ईट लापरवाही से पड़े हैं। इससे वहा बड़ी भीड़-भाड़ लगने के कारण लैंड कस्टम्स स्टेशन में आयातित-निर्यातित सामानों के रखरखाव में कठिनाई हो रही है। पुरे लैंड कस्टम्स स्टेशन में ऐसे सामानों का अव्यवस्थित रूप से ढेर लगने से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आने-जाने में भी बाधा बना हुआ है। इसे देखते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि ए.ल.सी.एस.की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पत्थरी चिप्स और ईटों को लैंड कस्टम्स स्टेशन में लापरवाही से रखना नहीं दिया जाए और आयात सामानों को बांग्लदेशी ट्रकों से प्रतिक्षारत भारतीय ट्रकों से हटाया जाए, जैसा कि सामानों को सीमा शुल्क क्षेत्र में उतारे बगैर एक ट्रक से दूसरे ट्रकों पर लादा जाए जैसा दूसरे सामानों के क्षेत्र में किया जाता है। सीमा शुल्क अधिकारी सामानों के भेजने की प्रक्रिया का मूल्य निर्धारण करेंगे और उल्लेखित सामान के पहुंचते ही अनुमति पत्र दिया जाए। किसी भी तरह की असुविधा होने पर इसे सूचित कर सकते हैं।

हस्ताक्षर

Soh
एस.आर.बरुआ^१
आयुक्त

ड पोस्ट

सी.संख्या VIII(४)५/सीशु/तक/2006 / २५२५ - ३१ (८)

दिनांक: 01 DEC 2010

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, शिलांग जोन, पूर्वोत्तर क्षेत्र, महात्मा गांधी रोड,
शिलांग-793001.
2. आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मोरेलो परिसर, शिलांग-793001.
3. आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेट्ठी इंस्टी बीलिंग, जी.एस.रोड. भांगागड, गुवाहाटी-05
4. आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मिलन नगर, लेन एफ.डाक-सीआर बीलिंग, 786003
5. आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क (अपीलीय), पियली फुकन पथ, खीचियन बस्ती, गौहाटी।
6. उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क प्रभाग (सभी)....., को इस अनुरोध के साथ
कि अपने क्षेत्र के आयातकर्ता/ निर्यातकर्ता संस्थाओं, सीमा शुल्क एजेंटों को सुविधा संबंधी यह
सूचना वितरित करें।
7. अधीक्षक, कम्पूटर कक्ष, सीमा शुल्क मुख्यालय। उनसे यह अनुरोध किया जाता है कि इस सुविधा
संबंधि कंटेंट को आयुक्तालय के वेबसाइट पर ऑपलोड करें।

8. गार्ड फाईल

एम.पाल
(ए.एम.पाल) ३८५
अधीक्षक (तक)